अंक 32 । संख्या 7 । जुलाई 2025

सर्वे
भवन्तु सुखिनः

मानव अधिकार

न्यूजलेटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का मासिक प्रकाशन

Meeting
of
Statutory Full Commission
on
3rd June, 2025 at New Delhi
National Human Rights Commission
Priyank Kanoongo
Member NHRC
Joginder S
Registrar (Law)

सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठक

मानव अधिकार
न्यूज़लेटर
अंक 32 । संख्या 7 । जुलाई 2025

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

अध्यक्ष
न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन

सदस्य
न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगी
श्रीमती विजया भारती सयानी
श्री प्रियंक कानूनगो

महासचिव
श्री भरत लाल

संपादक
जैमिनि कुमार श्रीवास्तव
उपनिदेशक (मीडिया एवं संचार), एनएचआरसी

यह सामग्री आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर भी उपलब्ध है। गैर-सरकारी तथा अन्य संगठन आयोग के मानव अधिकार न्यूज़लेटर में प्रकाशित लेखों के व्यापक प्रसार हेतु आयोग का आभार मानते हुए पुन: प्रकाशित कर सकते हैं।

▶ सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठक

विषय-वस्तु

मासिक विवरण

3 महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी की डेस्क से

रिपोर्ट्स

4 सांविधिक पूर्ण आयोग बैठक

आलेख

7 मानवाधिकारों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
8 स्वतः संज्ञान
10 राहत हेतु सिफ़ारिशें
11 पीड़ितों को राहत का भुगतान
12 केस स्टडीज़

क्षेत्रीय दौरे

14 एनएचआरसी, भारत के सदस्य द्वारा दौरे
15 विशेष मॉनिटर द्वारा दौरे

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

15 ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम (एसआईपी)
17 मानव अधिकारों पर चरण II आईपीएस परिवीक्षार्थियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम
17 कार्यशालाएँ

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एनएचआरसी

18 'समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना के लिए बहु-क्षेत्रीय भागीदारी' पर उच्च-स्तरीय नीति संवाद
19 प्रवासन पर संयुक्त राष्ट्र नेटवर्क की छठी वार्षिक बैठक
19 अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यस्तता

अनुसंधान अध्ययन

20 भारत में श्रम बल में महिलाओं की घटती भागीदारी : एक ज़मीनी-स्तरीय अध्ययन
22 पुस्तक समीक्षा
23 राज्य मानवाधिकार आयोगों से समाचार
24 संक्षिप्त समाचार
27 आगामी कार्यक्रम
27 जून, 2025 में शिकायतें

▶ एनएचआरसी, भारत के ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षु दिल्ली स्थित शीओव्स केयर सेंटर का दौरा करते हुए

www.nhrc.nic.in
@India_NHRC

RNI No. 61957/95

मासिक विवरण

महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी की डेस्क से

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अनुसार, भारत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं और अन्य हितधारकों के साथ संवाद और साझेदारी को बढ़ावा देते हुए, सभी मनुष्यों, विशेष रूप से समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है। जून 2025 में, आयोग को 17,514 शिकायतें प्राप्त हुईं और 2,769 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें से 30,753 शिकायतें वर्तमान में विचाराधीन हैं। 20 मामलों में, आयोग ने पीड़ितों या उनके निकटतम संबंधियों को 111 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक राहत की संस्तुति की। कई मामलों में, आयोग को संबंधित राज्य सरकारों से अनुपालन रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। आयोग ने मानव अधिकार उल्लंघन के कई मामलों में स्वतः संज्ञान भी लिया।

> *धर्म और अहिंसा की प्रारंभिक अवधारणाओं से ही भारतीय परंपरा ने हमेशा व्यक्तिगत अधिकारों और सम्मान को सामूहिक जिम्मेदारी से जोड़ा है।*

मानव अधिकारों की यात्रा न तो नई है और न ही उधार ली गई है - यह उतनी ही प्राचीन और स्वाभाविक है जितनी स्वयं सभ्यता। भारत का स्थायी मानव अधिकार लोकाचार सभ्यतागत मूल्यों, संवैधानिक गारंटियों और वैश्विक जिम्मेदारियों में दृढ़ता से निहित है। आज की जटिल दुनिया में, जहाँ अधिकारों पर विमर्श कभी-कभी टकराव या अमूर्तता की ओर झुक सकता है, भारत एक गहन समग्र, मूल्य-संचालित और सहयोगात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

धर्म और अहिंसा की प्रारंभिक अवधारणाओं से ही, भारतीय परंपरा ने हमेशा व्यक्ति के अधिकारों और सम्मान को सामूहिक उत्तरदायित्व से जोड़ा है। भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने केवल करुणा की बात नहीं की - उन्होंने इसे साकार किया, यह प्रदर्शित करते हुए कि सच्ची स्वतंत्रता सेवा और सद्भाव से अविभाज्य है। भारतीय चिंतन अधिकारों को कर्तव्यों के विरुद्ध नहीं करता; बल्कि, उन्हें जोड़ता है। हमारी प्राचीन शिक्षाओं ने बड़ों के प्रति सम्मान, कमजोरों की देखभाल और प्रकृति के साथ सामंजस्य की शिक्षा दी - ये सबक आज भी उतने ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं जितने 5,000 साल पहले थे।

यह नैतिक आधार भारत के संविधान में अभिव्यक्त होता है। मौलिक अधिकार - स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय - केवल वादे नहीं हैं; वे अनुच्छेद 32 के माध्यम से क्रियान्वित किए जा सकते हैं, जो नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय से न्याय प्राप्त करने का अधिकार देता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (डीपीएसपी) समावेशी विकास पर जोर देते हैं, जबकि एनएचआरसी, एसएचआरसी, सात अन्य राष्ट्रीय आयोग और क्षेत्रीय अधिकारों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए उनके राज्य समकक्ष जैसे संस्थान, और नागरिक समाज सतर्कता और इरादे से इन अधिकारों की रक्षा करते हैं। जनहित याचिकाओं (पीआईएल) जैसे तंत्रों ने सबसे हाशिए पर मौजूद आवाज़ों को प्रणालीगत अन्याय को चुनौती देने की अनुमति दी है।

मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आयोगों के बीच तालमेल और सहयोग को बढ़ाने के लिए, एनएचआरसी, भारत ने जून में नई दिल्ली में सभी 7 मानद सदस्य आयोगों और दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त की एक वैधानिक पूर्ण आयोग बैठक का आयोजन किया। यह प्रत्येक व्यक्ति के मानव अधिकारों और सम्मान के संरक्षण और संवर्धन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहयोग, परस्पर सीख और सामूहिक प्रयासों को सुनिश्चित करता है।

मानव अधिकारों की अवधारणा हमेशा विकसित होती रहती है; ये समाज में बदलाव और नई चुनौतियों के उभरने के साथ विकसित होते हैं। ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाने, अनुच्छेद 370 को हटाने, जम्मू-कश्मीर में सभी भारतीयों को समान अधिकार सुनिश्चित करने, महिलाओं, ट्रांसजेंडर और मानसिक स्वास्थ्य अधिकारों को आगे बढ़ाने में भारत की प्रगति महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं। लेकिन चुनौतियाँ - जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शहरी अपशिष्ट, पानी की कमी और बढ़ती गर्मी - हमारी अनुकूलता की परीक्षा लेती हैं और इन पर निरंतर ध्यान और कार्रवाई की आवश्यकता होती है। अब दुनिया भर में यह अहसास है कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एक मानव अधिकार है। स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र विलासिता नहीं हैं - वे एक आवश्यकता हैं।

भारत ने अपनी जनसंख्या के दबाव के बावजूद, आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण का व्यापार नहीं किया है। स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और ग्रीन इंडिया मिशन जैसी पहल साबित करती हैं

हालांकि, भविष्य की राह गहन नागरिक सहभागिता की मांग करती है। छात्रों और युवाओं को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) का अन्वेषण करना चाहिए, भारत के संवैधानिक और पर्यावरणीय ढाँचों को समझना चाहिए, और स्वयं को अधिकारधारक और कर्तव्यधारक, दोनों के रूप में देखना चाहिए। चाहे अरावली ग्रीन वॉल पहल का समर्थन हो, जलवायु साक्षरता को बढ़ावा देना हो, भारत के संरक्षण के सिद्धांतों को बढ़ावा देना हो या प्रदूषण नियंत्रण के लिए तकनीक और नवीन समाधानों को अपनाना हो - आज नागरिकता का अर्थ नेतृत्वकारी होना चाहिए।

भारत की अधिकार यात्रा एक रेखीय नहीं है। यह एक सर्पिलाकार पथ है – जो प्राचीन ज्ञान की ओर लौटते हुए आधुनिक कानून, नागरिक कार्रवाई और वैश्विक सहभागिता के माध्यम से आगे बढ़ता है। यह न केवल सतर्कता बल्कि दूरदर्शिता की भी मांग करता है। एक न्यायपूर्ण, समावेशी और मानवीय समाज का निर्माण केवल सरकारों द्वारा नहीं किया जाता बल्कि प्रत्येक नागरिक द्वारा सह-निर्मित किया जाता है। और जैसे-जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, भारत का नैतिक दिशानिर्देश - जो सहस्राब्दियों के विचारों और एक गतिशील लोकतंत्र द्वारा आकारित है - न्याय, गरिमा और साझा भलाई के साथ दृढ़ता से जुड़ा हुआ है।

इसलिए, मानव अधिकारों और मूल्यों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना आयोग के लिए हमेशा एक प्रगतिशील कार्य है। इस महीने में दो ऐसे महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इनमें विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए चार सप्ताह का ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम और दूसरा सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद के संयुक्त तत्वाधान में 2023 बैच के आईपीएस प्रोबेशनर्स के चरण-II के लिए शामिल था। आयोग के प्रतिष्ठित ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए, 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 42 संस्थानों के 1,468 आवेदकों में से 80 को मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट करना एक कठिन काम था। युवाओं में मानव अधिकारों के प्रति उत्सुकता देखकर खुशी होती है। यह केवल कानून के छात्रों तक ही सीमित नहीं है क्योंकि इंटर्न कानून, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान, पत्रकारिता, जेंडर अध्ययन, डिजिटल मानविकी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों सहित विविध शैक्षणिक विषयों से आ रहे हैं।

आयोग द्वारा मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के दृष्टिकोण का एक अन्य पहलू विभिन्न हितधारकों के साथ बहु-क्षेत्रीय परामर्शों का आयोजन करना तथा देश की प्रमुख शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थाओं द्वारा समर्थित अनुसंधानकर्ताओं को मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान अध्ययन प्रायोजित करना है। इसका उद्देश्य अब तक किए गए कार्यों को समझना और उनकी सराहना करना तथा शेष चुनौतियों के समाधान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करना है। समाचारपत्र के इस संस्करण में हाल ही में पूर्ण हुए एक अनुसंधान अध्ययन "भारत में महिलाओं की घटती श्रम शक्ति भागीदारी" पर एक संक्षिप्त निष्कर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जो प्रो. ऋषि कुमार, बीआईटीएस पिलानी, हैदराबाद कैंपस द्वारा संपन्न किया गया। इस संस्करण में "पुलिस पॉवर्स" नामक एक पुस्तक की समीक्षा भी सम्मिलित है, जो दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों द्वारा किए गए एक विश्लेषणात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह अध्ययन उनके पुलिसिंग अनुभवों तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अन्वेषण प्रभाग में प्रतिनियुक्ति के दौरान के अनुभवों पर आधारित है।

इस संस्करण में क्षेत्रीय मानवाधिकारों के प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित लेख भी शामिल हैं, जो अन्य नियमित अंशों के साथ मिलकर पाठकों के लिए एक रोचक और उपयोगी पाठ्य सामग्री प्रदान करेंगे, ऐसी आशा है।

[भरत लाल]

महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठक

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने 3 जून, 2025 को नई दिल्ली में सभी 7 मानद सदस्य आयोगों और दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त की एक सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठक आयोजित की। बैठक का उद्देश्य मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए आयोगों के बीच तालमेल और सहयोग बढ़ाना था। बैठक की अध्यक्षता करते हुए, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, अध्यक्ष, एनएचआरसी, भारत ने आयोगों के बीच सहयोगात्मक कार्य के महत्व पर बल दिया। उन्होंने नियमित अंतराल पर वैधानिक पूर्ण आयोग के सदस्यों की संयुक्त बैठकें आयोजित करने और मामलों के दोहराव से बचने के लिए सभी आयोगों की वेबसाइटों को हाइपरलिंक करने की एक व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया।

Meeting of Statutory Full Commission
3rd June, 2025
AGENDA
Bharat Lal
Secretary General, NHRC
Dr. Justice Bidyut R. Sarangi
Member, NHRC
Justice V. Ramasubramanian
Chairperson, NHRC
Vijaya Bharathi S
Member, NHR

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, सदस्यों, न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन षड़ंगी, श्रीमती विजया भारती सयानी और महासचिव, श्री भरत लाल के साथ, सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठक को संबोधित करते हुए

बैठक में कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और मामलों के दोहराव को कम करने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने संयुक्त तथ्य-खोज मिशन, जागरूकता अभियान और आउटरीच कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अध्यक्ष श्री किशोर मकवाना ने अनुसूचित जाति समुदायों के अधिकारों और कल्याण के लिए आयोग द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों के बारे में बताया।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर ने कहा कि एनसीडब्ल्यू महिलाओं के कल्याण के लिए शिकायतों, अनुसंधान, जागरूकता और जनसंपर्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

▶ सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठक जारी है

Mukesh
Deputy Registrar, NHRC

▶ बैठक में प्रतिभागियों का एक वर्ग

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की अध्यक्ष श्रीमती तृप्ति गुरहा ने बाल दुर्व्यापार रोकने और पॉक्सो मामलों में त्वरित कानूनी उपाय सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर ज़ोर दिया।

इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य श्री निरुपम चकमा, दिव्यांगजन आयोग के मुख्य आयुक्त श्री राजेश अग्रवाल और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री डैनियल ई. रिचर्ड्स ने भी अपने विचार साझा किए और कमज़ोर समुदायों के मानव अधिकार मुद्दों के समाधान के लिए क्षेत्रीय आयोगों के बीच एक संयुक्त तंत्र बनाने के पक्ष में तर्क दिए।

न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगी, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर ज़ोर दिया कि कल्याणकारी योजनाएँ हाशिए पर पड़े लोगों सहित समाज के सभी वर्गों तक पहुँचें। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने कहा कि ये आयोग अलग-थलग संस्थाएँ नहीं हैं, बल्कि मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण की दिशा में काम करने वाले एक सह-यात्री हैं।

इससे पहले, बैठक के एजेंडे पर प्रकाश डालते हुए, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव श्री भरत लाल ने देश के अद्वितीय संस्थागत मानव अधिकार संरक्षण ढाँचे का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इन संस्थाओं के बीच इस तरह की परस्पर चर्चा मानव अधिकारों के प्रमुख मुद्दों पर एक साझा मंच बनाने में उपयोगी हैं जिससे पीड़ितों को सामूहिक रूप से त्वरित राहत सुनिश्चित की जा सकती है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने पिछले वर्ष आयोग द्वारा की गई गतिविधियों का सारांश प्रस्तुत किया। बैठक भारत में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण हेतु आयोगों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की नई प्रतिबद्धता के साथ संपन्न हुई।

National Human Rights Commission
Statutory Full Commission Meeting
June 2025

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्षों, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों तथा सीसीपीडी के आयुक्त के साथ

लेख

मानव अधिकारों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

- न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन
अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

17 जून, 2025 को एसवीपीएनपीए, हैदराबाद में चरण-II आईपीएस परिवीक्षार्थियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के समापन सत्र में 'मानव अधिकारों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य' विषय पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन का संबोधन

मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे 1948 में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के प्रथम बैच के एक उल्लेखनीय अधिकारी श्री सी. वी. नरसिम्हन के संस्मरण को जानने और उसका विमोचन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका जीवन हम सभी के लिए सीख प्रदान करता है। मुझे उनके संस्मरण से एक किस्सा साझा करने की अनुमति दें जो लोक सेवा में सत्यनिष्ठा के महत्व को रेखांकित करता है। 1960 के दशक में, एक जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में, श्री नरसिम्हन तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री के दौरे पर उनके साथ गए थे। जब मुख्यमंत्री विदा हुए, तो उन्होंने श्री नरसिम्हन को एक सलाह दी: "आपने मुझसे हर तरह के लोगों को मिलते हुए देखा होगा - अच्छे, बुरे और बदसूरत। अगर कोई मेरी अनुपस्थिति में मेरे करीब होने का दावा करता है, तो उसकी बातों को 100% छूट दें। मैं आपके काम में कभी दखल नहीं दूँगा।" बीते युग का यह किस्सा संस्थागत स्वायत्तता के प्रति सम्मान के उस स्तर को उजागर करता है जो आज दुर्लभ होता जा रहा है। साठ साल बाद, राजनीतिक नेताओं की ओर से ऐसे आश्वासन तेजी से दुर्लभ होते जा रहे हैं, जिससे आप जैसे अधिकारियों पर कानून के शासन को बनाए रखने की अधिक जिम्मेदारी आ गई है।

मैं आपका ध्यान 2019 में हैदराबाद की एक वास्तविक जीवन की घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 27 नवंबर को, एक 26 वर्षीय पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। अगले दिन उसका शव मिला और चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। 6 दिसंबर, 2019 को, ये संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। शुरुआत में, इसमें शामिल अधिकारियों को नायक के रूप में सम्मानित किया गया, हजारों लोगों ने फूलों की पंखुड़ियों और पटाखों के साथ जश्न मनाया। हालांकि, 2022 में, एक जांच आयोग ने इन अधिकारियों को दोषी पाया, और विभागीय कार्रवाई और आपराधिक मुकदमा चलाने की संस्तुति की। वही भीड़ जो कभी उनका उत्साहवर्धन करती थी, गायब हो गई। इस कहानी का सार स्पष्ट है: त्वरित न्याय के लिए जनता के दबाव के आगे झुकना क्षणिक प्रशंसा दिला सकता है, लेकिन इसके दीर्घकालिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। क़ानून के शासन का पालन करना, भले ही चुनौतीपूर्ण हो, यह सुनिश्चित करता है कि आपके कार्य जांच की कसौटी पर खरे उतरें और आपको विनाश से बचाएँ। पुलिस अधिकारी के रूप में, आप न्याय के संरक्षक हैं; और कानून का शासन आपका मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए।

मानव अधिकारों पर चर्चा को अक्सर गलत समझा जाता है कि यह 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा से शुरू हुई। इसकी जड़ें 539 ईसा पूर्व तक जाती हैं, जब फारस के पहले राजा, साइरस महान ने बेबीलोन पर विजय प्राप्त की थी। एक तानाशाह के रूप में शासन करने के बजाय, साइरस ने दासों को मुक्त किया, धर्म चुनने का अधिकार दिया और नस्लीय समानता स्थापित की। मिट्टी के बेलन पर अंकित उनका साइरस चार्टर, मानव अधिकारों का सबसे पुराना ज्ञात दस्तावेज माना जाता है, जिसके सिद्धांत मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) के पहले चार अनुच्छेदों में प्रतिध्वनित होते हैं। मैग्ना कार्टा, हालांकि महत्वपूर्ण था, इंग्लैंड के राजा जॉन और उनके सामंतों के बीच एक समझौता था, जिसमें पाँच प्रमुख अधिकारों को मान्यता दी गई थी:

- चर्च का सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहने का अधिकार;
- सभी नागरिकों का संपत्ति का स्वामित्व और उत्तराधिकार प्राप्त करने तथा अत्यधिक करों से सुरक्षा का अधिकार;
- संपत्ति की स्वामिनी विधवा का पुनर्विवाह न करने का अधिकार;
- विधि के समक्ष उचित प्रक्रिया और समता के सिद्धांत; और
- जमानत का अधिकार

सदियों बाद, अधिकारों की याचिका (1628) ने राजशाही की मनमानी शक्तियों पर अंकुश लगाया, जिसके बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम (1679) आया, जिसने गैरकानूनी नज़रबंदी से सुरक्षा प्रदान की। अंग्रेजी अधिकार विधेयक (1689) ने नागरिक स्वतंत्रता और संसदीय प्राधिकार को और अधिक परिभाषित किया।

अटलांटिक के पार, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा (1776) ने 'जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज' को अविभाज्य अधिकार घोषित किया। अमेरिकी संविधान (1789) और इसके अधिकार विधेयक (1791) ने आगे के मील के पत्थर चिह्नित किए, हालांकि गुलामी 1865 में 13वें संशोधन तक बनी रही। फ्रांसीसी क्रांति की मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा (1789) ने स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और उत्पीड़न के प्रतिरोध पर जोर दिया।

20वीं सदी में 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, जिसका मिशन मानव अधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना था। 1948 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) को अपनाया, जो नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर 30 लेखों की रूपरेखा वाला एक ऐतिहासिक दस्तावेज पिछले 77 वर्षों में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति से प्रेरित तीसरी पीढ़ी के सामूहिक अधिकार और चौथी पीढ़ी के अधिकार उभरे हैं, जिससे निजता, शारीरिक स्वायत्तता और यहां तक कि क्रायोनिक्स जैसे नवाचारों के माध्यम से 'भविष्य के जीवन' के अधिकार के बारे में जटिल प्रश्न उठे हैं।

2016 में इंग्लैंड में एक 14 वर्षीय लड़की के मामले पर विचार करें, विचार करें,जिसे अंतिम चरण के कैंसर का निदान हुआ था। उसने न्यायालय को एक मार्मिक पत्र लिखा, जिसमें उसने मृत्यु के बाद अपने शरीर को क्रायोनिक रूप से संरक्षित करने की अनुमति माँगी, इस आशा में कि जब कभी इस बीमारी का इलाज मिल जाए, तब उसे फिर से जीवित किया जा सके। उसने लिखा, “मैं केवल 14 वर्ष की हूँ, और मैं मरना नहीं चाहती। मेरा मानना है कि क्रायो-प्रिज़र्वेशन से मुझे ठीक होने और जागने का एक मौका मिल सकता है, भले ही वह सैकड़ों वर्षों बाद ही क्यों न हो। मैं जीना चाहती हूँ और अधिक समय तक जीना चाहती हूँ।”उसके माता-पिता तलाकशुदा थे और इस विषय पर सहमत नहीं हो सके, अतः न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसने माँ को निर्णय लेने का अधिकार दिया।यह मामला कई गहरे प्रश्न उठाता है:क्या किसी व्यक्ति को मृत्यु के बाद अपने भाग्य का निर्धारण करने का अधिकार है?क्या इस प्रकार के अधिकार को दूसरों को प्रभावित किए बिना लागू किया जा सकता है?

कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में, आपको कई दबावों का सामना करना पड़ेगा: तत्काल न्याय की सामाजिक माँग और दोषी साबित होने तक निर्दोष मानने की कानूनी अनिवार्यता। विज्ञान के विपरीत, जो किसी भी तरीके की परवाह किए बिना सत्य की खोज करता है, कानून की माँग है कि सत्य को निष्पक्ष और वैध तरीकों से प्राप्त किया जाए। गैरकानूनी तरीके से एकत्र किए गए साक्ष्य अस्वीकार्य हैं, जो प्रक्रियात्मक अखंडता के महत्व को रेखांकित करता है। निष्कर्षतः, एक अधिकारी के रूप में आपकी भूमिका केवल कानून लागू करना ही नहीं है, बल्कि मानव अधिकारों और कानून के शासन के सिद्धांतों को बनाए रखना भी है। सदियों से गढ़े गए ये सिद्धांत क्षणिक जनमत और राजनीतिक दबावों के विरुद्ध आपकी ढाल हैं। इनका पालन करके, आप श्री सी. वी. नरसिम्हन जैसे अग्रदूतों की विरासत का सम्मान करते हैं और सभी के लिए एक न्यायसंगत और समतामूलक समाज के निर्माण में योगदान देते हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, देश में मानव अधिकारों की रक्षा में सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए, विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए मानव अधिकारों पर विशेष रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। आयोग ने भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षार्थियों और सुषमा स्वराज राष्ट्रीय विदेश सेवा संस्थान, नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विदेशी राजनयिकों के लिए भी इसी तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं ताकि उन्हें मानव अधिकारों के विभिन्न आयामों के बारे में जागरूक किया जा सके। अपने करियर के शुरुआती दौर में ही अधिकार-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, आयोग यह सुनिश्चित करता है कि ये अधिकारी लोक सेवा में अपनी भावी भूमिकाओं में जवाबदेही, निष्पक्षता और गरिमा की गहरी भावना रखें।

स्वतः संज्ञान

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के लिए मानव अधिकार उल्लंघन की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने हेतु मीडिया रिपोर्ट्स एक अत्यंत उपयोगी साधन रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में, इसने ऐसे कई मुद्दों का स्वतः संज्ञान लिया है और मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को सहायता प्रदान की है। जून, 2025 के दौरान, आयोग ने मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए कथित मानव अधिकार उल्लंघन के 11 मामलों का स्वतः संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट के लिए नोटिस जारी किए। इन मामलों का सारांश इस प्रकार है:

शारीरिक प्रताड़ना के कारण व्यक्ति की मृत्यु

(केस संख्या 611/36/2/2025-ए.डी.)

14 मई, 2025 को मीडिया में खबर आई कि 35 वर्षीय ऑटो-रिक्शा चालक की 13 मई, 2025 को हैदराबाद, तेलंगाना के राजेंद्रनगर पुलिस स्टेशन में पुलिस द्वारा कथित तौर पर शारीरिक प्रताड़ना दिए जाने के बाद मृत्यु हो गई। आयोग ने तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक को एक नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पीड़ित का अपनी पत्नी के साथ कुछ विवाद चल रहा था, जो उसे मामले को सुलझाने के लिए पुलिस स्टेशन ले गई थी। दंपति की काउंसलिंग के बाद, व्यक्ति को एक कमरे में ले जाया गया जहाँ पुलिसकर्मियों ने रबर बेल्ट से उसकी बुरी तरह पिटाई की। एक घंटे बाद, जब वह पुलिस स्टेशन से बाहर आया, तो उसे उल्टी होने लगी और वह गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

प्रस्तावित बाँध निर्माण के विरोध में लोगों का विरोध

(मामला संख्या 18/2/2/2025)

23 मई, 2025 को मीडिया में खबर आई कि निवासी प्रस्तावित बाँध निर्माण का विरोध कर रहे

हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि इससे कई लोगों का विस्थापन हो सकता है और अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में आजीविका और पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने राज्य के सियांग जिले के विभिन्न इलाकों में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की है। आयोग ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

दो पत्रकारों पर हमला

(केस संख्या 1231/12/7/2025)

25 मई, 2025 को, मीडिया ने बताया कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया था कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले में जिला पुलिस अधीक्षक की निगरानी में पुलिस द्वारा दो पत्रकारों के साथ क्रूरतापूर्वक मारपीट की गई। कथित तौर पर, यह घटना 1 मई, 2025 को हुई थी।

आयोग ने पाया है कि यदि प्रेस विज्ञप्ति की सामग्री सत्य है, तो यह पीड़ित पत्रकारों के मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। इसलिए, आयोग ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को एक नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कथित तौर पर, दोनों पत्रकारों को एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें कहा गया था कि उनके बीच सभी मामले सुलझ गए हैं।

बलात्कार और क्रूर हमले की शिकार नाबालिग लड़की की इलाज में देरी के कारण मौत

(मामला संख्या 1439/4/26/2025)

1 जून, 2025 को, मीडिया में खबर आई कि बलात्कार और क्रूर शारीरिक हमले की शिकार नौ साल की एक बच्ची की बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (पीएमसीएच) में मौत हो गई। आरोप है कि उसे इलाज शुरू करने के लिए बिस्तर मिलने से पहले कई घंटों तक एम्बुलेंस में इंतज़ार करना पड़ा। 26 मई, 2025 को राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में उसके साथ बलात्कार हुआ और 30 मई, 2025 को उसे गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया। आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बताया जा रहा है कि इसी अपराधी ने पहले भी एक 12 साल की बच्ची के साथ ऐसा ही अपराध किया था और उसे मारने की कोशिश की थी।

ज़हरीली गैस के संपर्क में आने से दो कर्मचारियों की मौत और एक अन्य घायल।

(केस संख्या 1099/1/28/2025)

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 11 जून, 2025 को आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली ज़िले में एक दवा कंपनी के अपशिष्ट उपचार संयंत्र में रात्रि पाली में काम करते समय ज़हरीली गैस के संपर्क में आने से दो कर्मचारियों की मौत हो गई और एक अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित कर्मचारी ज़हरीली गैस के संपर्क में आकर बेहोश हो गए, जिसके बारे में संदेह है कि यह गैस अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया के दौरान निकली थी। आयोग ने आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और अनकापल्ली के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में घायल व्यक्ति, जिसका कथित तौर पर अस्पताल में इलाज चल रहा था, के स्वास्थ्य की स्थिति और उसे तथा मृतक के परिजनों को दिए गए मुआवज़े (यदि कोई हो) स्वास्थ्य की स्थिति का विवरण शामिल होने की अपेक्षा है।

वाराणसी की जेलों में दो दिनों में तीन कैदियों की मौत

(केस संख्या 12838/24/72/2025-जेसीडी)

मीडिया में खबर आई है कि 15 और 16 जून, 2025 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सरकारी हिरासत में तीन कैदियों की एक के बाद एक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिला जेल में बंद एक पुरुष डॉक्टर और एक महिला कैदी की बीमारी के कारण मौत हो गई, जबकि वाराणसी की केंद्रीय जेल में बंद एक अन्य कैदी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। आयोग ने पाया है कि अगर खबर की सामग्री सही है, तो यह मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। इसलिए, आयोग ने महानिदेशक, कारागार और पुलिस आयुक्त, वाराणसी, उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

बाल सुधार गृह में लगी चोटों के कारण एक कैदी की मौत

(केस संख्या 2934/30/0/2025)

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में स्थित एक सरकारी बाल सुधार गृह में बंद एक 17 वर्षीय किशोर की उसके दो साथी कैदियों द्वारा दी गई चोटों के कारण मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह शारीरिक हमला 17 जून, 2025 को हुआ था। घायल पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में मृत्यु के अंतिम कारण के साथ-साथ जाँच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट जाँच रिपोर्ट भी शामिल होने की अपेक्षा है।

कॉलेज छात्रा का सामूहिक बलात्कार

(केस संख्या 911/18/5/2025-WC)

16 जून, 2025 को मीडिया में खबर आई कि 15 जून, 2025 को ओडिशा के गंजम जिले के गोपालपुर समुद्र तट पर लगभग 10 लोगों ने एक 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया। बताया जा रहा है कि पीड़िता अपने एक पुरुष मित्र के साथ त्योहार मनाने समुद्र तट पर गई थी। अपराधियों ने उसके मित्र को बंधक बनाने के बाद उसका यौन उत्पीड़न किया। आयोग ने ओडिशा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में मामले की जाँच की स्थिति, पीड़िता के स्वास्थ्य और राज्य के अधिकारियों द्वारा उसे प्रदान किए गए

मुआवजे/परामर्श (यदि कोई हो) की स्थिति का विवरण शामिल होने की अपेक्षा है।

पति द्वारा कर्ज न चुकाने पर साहूकार ने महिला पर किया हमला

(केस संख्या 851/1/3/2025)

17 जून, 2025 को मीडिया में खबर आई कि 16 जून, 2025 को आंध्र प्रदेश के चिऊर जिले के कुप्पम मंडल के नारायणपुरम गाँव में एक महिला को उसके पति द्वारा कर्ज न चुकाने पर एक साहूकार ने पेड़ से बाँधकर सबके सामने पीटा। उसे कथित रूप से गाँव वालों द्वारा मुक्त कराया गया। आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

बताया गया है कि पीड़िता के पति ने लगभग तीन साल पहले एक स्थानीय साहूकार से 80,000 रुपये का कर्ज लिया था, लेकिन उसे चुका नहीं पाया। उसने अन्य ग्रामीणों से भी कर्ज लिया था। कर्ज न चुका पाने के कारण, उसने गाँव छोड़ दिया और तब से उसकी पत्नी दिहाड़ी मजदूरी करके अपना और अपने तीन बच्चों का पालन-पोषण कर रही थी। वह लोगों को किश्तों में कर्ज भी चुका रही थी।

अनुसूचित जनजाति की महिला के परिवार का सामाजिक बहिष्कार

(केस संख्या 1072/18/32/2025)

21 जून, 2025 को मीडिया में खबर आई कि ओडिशा के रायगढ़ जिले में अनुसूचित जनजाति की एक महिला के अनुसूचित जाति के व्यक्ति से विवाह के बाद ग्रामीणों ने उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। बताया गया है कि अगर महिला का परिवार समुदाय में वापस आना चाहता है, तो ग्रामीणों ने शुद्धिकरण की मांग की। अगर उन्होंने यह अनुष्ठान करने से इनकार किया, तो उन्हें अनिश्चितकालीन बहिष्कार की धमकी दी गई। आयोग ने ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

अनुसूचित जाति के दो व्यक्तियों पर अत्याचार

(केस संख्या 1081/18/5/2025)

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 22 जून, 2025 को ओडिशा के गंजम जिले में, दूसरे समुदाय के कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से गाय की तस्करी करने के संदेह में, अनुसूचित जाति के दो व्यक्तियों की पिटाई की गई, उन्हें घास खाने और नाले का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। कथित तौर पर, उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए और उनके सिर भी जबरन मुंडवा दिए गए। आयोग ने ओडिशा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और पीड़ितों को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण शामिल होने की उम्मीद है।

राहत के लिए संस्तुतियां

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों को संबोधित करना, पीड़ितों की शिकायतों को सुनना और ऐसे मामलों में उचित राहत की संस्तुति करना है। यह नियमित रूप से ऐसे विभिन्न मामलों को उठाता है और पीड़ितों को राहत देने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश और संस्तुतियां देता है। जून, 2025 में, सदस्य पीठों द्वारा प्रतिदिन लिए गए मामलों की संख्या के अलावा, पूर्ण आयोग द्वारा 20 मामलों और पीठ-I तथा पीठ-II द्वारा 20-20 मामलों की सुनवाई की गई। उन 20 मामलों में पीड़ितों या उनके निकटतम संबंधियों के लिए 111 लाख रुपये से अधिक की मौद्रिक राहत की संस्तुति की गई थी, जिसमें पाया गया था कि लोक सेवकों ने या तो मानव अधिकारों का उल्लंघन किया था या उनकी सुरक्षा में लापरवाही बरती थी। इन मामलों का विशिष्ट विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को लॉग करके एनएचआरसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
1.	315/4/16/2019-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	3.00	बिहार
2.	557/4/26/2024-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	बिहार
3.	2538/30/9/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	दिल्ली
4.	3111/25/5/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	पश्चिम बंगाल

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
5.	1240/4/36/2022-पीसीडी	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	बिहार
6.	10/8/11/2023-पीसीडी	पुलिस हिरासत में मौत	10.00	हिमाचल प्रदेश
7.	35186/24/25/2017-पीसीडी	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	उत्तर प्रदेश
8.	4933/25/16/2022-पीसीडी	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	पश्चिम बंगाल
9.	898/25/22/2020-पीसीडी	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	पश्चिम बंगाल
10.	969/1/24/2022-एडी	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	आंध्र प्रदेश
11.	706/7/7/2021-ए डी	पुलिस हिरासत में मौत	2.50	हरियाणा
12.	990/7/11/2020-ए.डी	पुलिस हिरासत में मौत	15.00	हरियाणा
13.	2943/18/12/2020-ई	पुलिस हिरासत में मौत	1.00	ओडिशा
14.	4426/4/26/2023	हाथ से मैला ढोना	8.00	बिहार
15.	2032/7/19/2023	असामाजिक तत्वों द्वारा परेशानी	5.00	हरियाणा
16.	2023/13/28/2024	असामाजिक तत्वों द्वारा परेशानी	5.00	महाराष्ट्र
17.	106/18/3/2024	उग्रीकृत क्षेत्र में मौतें/चोटें	7.00	ओडिशा
18.	2057/20/1/2024	राज्य/केंद्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	5.00	राजस्थान
19.	13217/24/48/2020	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	5.00	उत्तर प्रदेश
20.	17852/24/55/2024	बिजली लगने से मौत	5.00	उत्तर प्रदेश

पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

आयोग ने विभिन्न लोक प्राधिकरणों से भुगतान के साक्ष्य के साथ अनुपालन रिपोर्ट या अन्य अवलोकन/निर्देश प्राप्ति होने पर जून, 2025 के दौरान, आयोग ने 24 मामलों को बंद कर दिया। आयोग की संस्तुतियों पर पीड़ितों या उनके निकटतम संबंधी को ₹ 118 लाख रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया गया। इन मामलों का विशिष्ट विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को लॉग करके एनएचआरसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
1	4414/4/20/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	1.00	बिहार
2	281/33/6/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	चौइसगढ़
3	458/33/16/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	चौइसगढ़
4	5542/30/5/2020-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	4.00	दिल्ली
5	3679/18/12/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	ओडिशा
6	2835/22/5/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	7.50	तमिलनाडु
7	19885/24/61/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	उत्तर प्रदेश

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
8	2195/24/4/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	उत्तर प्रदेश
9	3118/24/60/2024-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	3.00	उत्तर प्रदेश
10	1671/25/5/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	पश्चिम बंगाल
11	4428/25/11/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	7.50	पश्चिम बंगाल
12	315/4/16/2019-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	3.00	बिहार
13	1244/19/15/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	7.00	पंजाब
14	405/35/1/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	3.00	उउराखंड
15	4933/25/16/20 22-पीसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	पश्चिम बंगाल
16	898/25/22/2020-पीसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	पश्चिम बंगाल
17	35186/24/25/2017-पीसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	10.00	उत्तर प्रदेश
18	1240/4/36/2022-पीसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	बिहार
19	969/1/24/2022-ईस्वी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	आंध्र प्रदेश
20	1707/4/9/2020-ईस्वी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	बिहार
21	1051/12/7/2020-ईस्वी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	7.50	मध्य प्रदेश
22	1617/36/2/2020-ईस्वी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	4.25	तेलंगाना
23	706/7/7/2021-ईस्वी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	हरियाणा
24	142/24/54/2021-डब्ल्यूसी	यौन उत्पीड़न की शिकायत पर पुलिस की निष्क्रियता	1.00	उत्तर प्रदेश

केस स्टडी

कई मामलों में, आयोग ने संबंधित राज्य अधिकारियों के दावों के विपरीत पाया कि पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन उनकी कानूनी कार्रवाई की कमी, निष्क्रियता या चूक के कारण हुआ था। अतः आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए कि मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों या उनके निकटतम आश्रितों को आर्थिक राहत की संस्तुति क्यों न की जाए, और दोषी/लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध मामला-दर-मामला कार्रवाई क्यों न की जाए। आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिसों पर राज्यों की प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति को देखते हुए आयोग ने पीड़ितों या उनके निकटतम आश्रितों को आर्थिक राहत प्रदान करने की संस्तुति की। आयोग को संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा अपनी संस्तुतियों के अनुपालन की रिपोर्ट भी मिली। इनमें से कुछ मामलों का सारांश इस प्रकार है:

न्यायिक हिरासत में मृत्यु

(केस संख्या 1707/4/9/2020-ई.)

यह मामला 11 जून, 2020 को केंद्रीय कारागार, बेइयाह, पश्चिम चंपारण, बिहार में एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु से संबंधित है। संबंधित प्राधिकारियों को भेजे गए नोटिस के प्रत्युत्तर में प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर, आयोग ने पाया कि कैदी ने उस समय आत्महत्या कर ली जब जेल अधिकारी वार्ड से बाहर निकल रहे थे। अतः, यह घटना स्पष्ट रूप से उनकी लापरवाही को दर्शाती है। अतः, आयोग ने राज्य सरकार को उनके अधिकारियों की लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए, उनके मुख्य सचिव के माध्यम से बिहार सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि वह मृतक कैदी के निकटतम संबंधी को 5 लाख रुपये की सहायता राशि के भुगतान की अनुशंसा क्यों न करे।

बिहार सरकार ने जवाब में तर्क दिया कि कैदी की मौत दम घुटने के कारण हुई क्योंकि उसने फांसी लगा ली थी, और जेल अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से कोई लापरवाही या कर्तव्यहीनता नहीं हुई थी। आयोग ने राज्य सरकार के तर्क को स्वीकार नहीं किया और मृतक के रिश्तेदार को राज्य द्वारा दी जाने वाली राहत राशि की पुष्टि की, जिसका भुगतान अंततः कर दिया गया।

न्यायिक हिरासत में मृत्यु

(केस संख्या 4428/25/11/2021-जेसीडी)

यह मामला 4 अक्टूबर, 2021 को पश्चिम बंगाल के मालदा स्थित मालदा जिला सुधार गृह में एक विचाराधीन कैदी की मृत्यु से संबंधित था। संबंधित अधिकारियों को भेजे गए नोटिस के जवाब में प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर, आयोग ने पाया कि सुधार गृह में यातना के कारण कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई थी। आयोग ने अपने अधिकारियों के कृत्यों के लिए राज्य को उत्तरदायी ठहराते हुए, मुख्य सचिव के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार को एक नोटिस जारी कर कारण बताओ नोटिस जारी किया और पूछा कि वह मृतक कैदी के निकटतम संबंधी को 7.5 लाख रुपये की राहत राशि के भुगतान की अनुशंसा क्यों न करे। हालाँकि, कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब न मिलने पर, आयोग ने पीड़ित परिवार को राहत राशि के भुगतान की अपनी अनुशंसा की पुष्टि की, जिसका भुगतान राज्य सरकार ने किया।

पुलिस हिरासत में मृत्यु

(केस संख्या 1051/12/7/2020-ई.)

यह मामला 15 मई, 2020 को मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मालनपुर पुलिस स्टेशन में कथित पुलिस यातना के कारण एक युवक की मौत से संबंधित था। संबंधित अधिकारियों को भेजे गए नोटिस के जवाब में प्राप्त रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि जाँच मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि उसकी मृत्यु लापरवाही के कारण सामान्य रूप से अप्राकृतिक थी। उन्होंने आगे निष्कर्ष निकाला कि यदि पुलिसकर्मी अधिक सतर्क और सावधान होते तो इस घटना को टाला जा सकता था।

पुलिस अधिकारियों की लापरवाही का हवाला देते हुए, आयोग ने उनके मुख्य सचिव के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया और पूछा कि वह मृतक के परिजनों को राहत के रूप में 7.5 लाख रुपये के भुगतान की संस्तुतियां क्यों न करे। जवाब में, राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों की गलती से इनकार किया। हालाँकि, आयोग उनकी दलील से सहमत नहीं हुआ और उसने मृतक के निकटतम संबंधी को 7.5 लाख रुपये का भुगतान करने की संस्तुतियां की, जिसका अधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई के बाद भुगतान किया गया।

पुलिस की निष्क्रियता

(केस संख्या 829/30/2/2022)

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर एक अश्लील वीडियो में उसकी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था और पुलिस ने उसकी एफआईआर तभी दर्ज की जब उसने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और निर्देश प्राप्त किए। आयोग ने राज्य को मामले की जाँच करने का निर्देश दिया और अपने अन्वेषण प्रभाग के माध्यम से आरोपों की मौके पर जाँच भी की। जाँच में पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले से निपटने में विभिन्न कमियाँ उजागर हुईं, जिससे एक महिला के सम्मान और गरिमा से जुड़ी घटना के प्रति संवेदनशीलता का पूर्ण अभाव प्रदर्शित हुआ। इसलिए, आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने में पुलिस की उदासीनता और लापरवाही के लिए उसे 10 लाख रुपये की राहत राशि देने की संस्तुति की जाए, साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाए।

सीवर साफ करते समय मौत

(केस संख्या 4426/26/4/2023)

यह मामला बिहार के पटना में एक निजी व्यक्ति के सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय दम घुटने से नगर निगम के एक सफाई कर्मचारी की मौत से संबंधित था। संबंधित प्राधिकारियों को भेजे गए नोटिस के जवाब में प्राप्त रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री के आधार पर, आयोग ने बिहार सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से एक नोटिस जारी कर कारण बताने को कहा कि क्यों न वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के WP(c) संख्या 324/2020 के 2023 के फैसले के आलोक में मृतक श्रमिक के निकटतम संबंधी को 15 लाख रुपये का भुगतान करने की संस्तुति करे, जिसमें केंद्र और राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि सीवर में होने वाली मौतों के लिए मुआवजा 1993 से लागू 10.00 लाख रुपये से बढ़ाया जाए।

मिलावटी केक खाने से मौत

(केस संख्या 776/19/15/2024)

यह मामला 24 मार्च, 2024 को पटियाला, पंजाब में ऑनलाइन ऑर्डर किए गए मिलावटी केक खाने से एक नाबालिग लड़की की मौत से संबंधित है। संबंधित अधिकारियों को भेजे गए नोटिस के जवाब में प्राप्त रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि चॉकलेट फैंटेसी केक का नमूना खाद्य सुरक्षा मानक विनियमों में निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं था, जो संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है। इसलिए, आयोग ने मुख्य सचिव के माध्यम से पंजाब सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि मृतक के रिश्तेदार को आर्थिक मुआवजा देने की संस्तुति क्यों न की जाए।

क्षेत्रीय दौरे

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर देश के विभिन्न स्थानों का दौरा करते हैं ताकि मानव अधिकारों की स्थिति और संबंधित राज्य सरकारों एवं उनके संबंधित प्राधिकारियों द्वारा आयोग के परामर्शों, दिशानिर्देशों और सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन किया जा सके। वे आश्रय गृहों, कारागारों, संप्रेक्षण गृहों आदि का भी दौरा करते हैं और सरकारी अधिकारियों को मानव अधिकारों के हित में आवश्यक प्रयास करने के लिए जागरूक करते हैं। राज्य प्राधिकारियों द्वारा समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर भी ज़ोर दिया जाता है ताकि मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों के शीघ्र निपटारे में आयोग की सहायता की जा सके।

एनएचआरसी, भारत की सदस्या के दौरे

17 जून, 2025 को, एनएचआरसी, भारत की सदस्या, श्रीमती विजया भारती सयानी ने एक आंगनवाड़ी केंद्र का दौरा किया और पूर्वी दिल्ली के पश्चिमी विनोद नगर स्थित राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय में आंगनवाड़ी शिक्षकों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया ताकि मानव अधिकारों की स्थिति और विभिन्न सुविधाओं का आकलन किया जा सके। उनके साथ रजिस्ट्रार (विधि) श्री जोगिंदर सिंह और अन्य अधिकारी भी थे। उन्हें आंगनवाड़ी शिक्षकों के अनियमित वेतन, उनके स्थिर करियर अवसरों, किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ न मिलने, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगजनों या ट्रांसजेंडरों को संभालने के अपर्याप्त प्रशिक्षण और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बारे में जानकारी दी गई।

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्या, श्रीमती विजया भारती सयानी दिल्ली में आंगनवाड़ी शिक्षकों को संबोधित करती हुईं

30 जून 2025 को, उन्होंने बचपन देखभाल सेवाओं की जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में एक और आंगनवाड़ी केंद्र का दौरा किया। इस दौरे में कई गंभीर चिंताएँ सामने आईं जैसे कि केंद्र एक ही तंग कमरे में चलता है, जिसमें 24 नामांकित बच्चों के साथ दो आंगनवाड़ी इकाइयाँ हैं, लेकिन केवल 15 टेबल हैं, जिससे इनडोर गतिविधियों या खेलों के लिए कोई जगह नहीं बचती है। स्वच्छता सुविधाओं का भारी अभाव है, एकमात्र उपलब्ध शौचालय अस्वच्छ और अनुपयोगी स्थिति में है। इमारत में वेंटिलेशन खराब है, जिससे दुर्गंध आती है। समग्र बुनियादी ढांचा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिसमें छोटे बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक को पिछले चार महीनों से वेतन नहीं मिला था, जबकि यह उनकी आय का एकमात्र स्रोत था।

विशेष प्रतिवेदक और मॉनिटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकार स्थितियों की निगरानी के लिए 15 विशेष प्रतिवेदक नियुक्त किए हैं। वे आश्रय गृहों, जेलों, पर्यवेक्षण गृहों और इसी तरह के संस्थानों का दौरा करते हैं, आयोग के लिए रिपोर्ट संकलित करते हैं जिसमें भविष्य की कार्रवाई के लिए उनके अवलोकन और सुझाव शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने 21 विशेष मॉनीटर्स को नियुक्त किया है जिन्हें विशिष्ट विषयगत मानव अधिकार मुद्दों की देखरेख करने और आयोग को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट करने का काम सौंपा गया है। दो विशेष मॉनिटरों के दौरे इस प्रकार थे:

विशेष मॉनिटर

- 11 से 13 जून, 2025 तक, डॉ. योगेश दुबे ने बिहार के दरभंगा जिले में तत्काल आपातकालीन/गैर-आपातकालीन सहायता प्रदान करने वाले 'वन स्टॉप सेंटर' का दौरा किया। उन्होंने बच्चों की सुविधाओं और कल्याण की जाँच के लिए वहाँ एक बालिका गृह का भी दौरा किया।
- 22 से 27 जून 2025 तक, डॉ. साधना राउत ने महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दों को समझने के लिए ओडिशा के भुवनेश्वर, बरहामपुर और क्योंझार का दौरा किया।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत को मानव अधिकारों संरक्षण एवं संवर्धन तथा उनके बारे में जागरूकता का प्रसार करने हेतु अधिदिष्ट है। यह अपने जनसंपर्क और मानव अधिकार संवेदनशीलता का विस्तार करने के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम, सहयोगी प्रशिक्षण और विभिन्न अन्य गतिविधियाँ आयोजित कर रहा है। इंटर्नशिप व्यक्तिगत रूप से और साथ ही ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती है। ऑनलाइन इंटर्नशिप यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाती है कि दूरदराज के क्षेत्रों के छात्र बिना किसी यात्रा और दिल्ली में रहने के खर्च के इसमें शामिल हो सकें। इसके अलावा, आयोग सभी संस्थानों में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन मिशन के रूप में विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों के लिए एक अनुकूलित मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और सम्मान की रक्षा की जाए।

ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम (एसआईपी)

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत का चार सप्ताह का ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम (एसआईपी)-2025, 16 जून, 2025 को नई दिल्ली स्थित अपने परिसर में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों में मानव अधिकार जागरूकता को बढ़ावा देना है। 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 42 संस्थानों के 1,468 आवेदकों में से 80 छात्रों को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया था। ये छात्र विधि, सामाजिक विज्ञान, समाज कार्य, मनोविज्ञान, पत्रकारिता, जेंडर अध्ययन, डिजिटल मानविकी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध सहित विविध शैक्षणिक विषयों से हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत
National Human Rights Commission, India
Summer Internship Programme (SIP) – 2025
(16th June – 11th July, 2025)
INAUGURAL FUNCTION
16th June, 2025

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम (एसआईपी)-2025 का उद्घाटन करते हुए

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने प्रशिक्षुओं की विविध पृष्ठभूमि में परिलक्षित भारत की विविधता में एकता की शक्ति पर प्रकाश डाला। उन्होंने साथियों से सीखने की परिवर्तनकारी शक्ति पर ज़ोर दिया और कहा कि एक बच्चे का पालन-पोषण माँ की देखभाल, पिता के निर्देशन, भाई-बहनों की अंतर्दृष्टि और साथियों के प्रभाव से होता है। उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए, उन्होंने जीवन में उद्देश्य की पूर्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने प्रशिक्षुओं से न्याय और सहानुभूति को बढ़ावा देने और एक ऐसे समाज के निर्माण में

▶ उद्घाटन सत्र में उपस्थित प्रशिक्षु

योगदान देने का भी आग्रह किया जहाँ सभी मनुष्यों को समान अधिकार और अवसर सुलभ हों। इससे पहले, इस अवसर पर अपने मुख्य भाषण में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने युवाओं में संवेदनशीलता, जवाबदेही और करुणा की गहरी भावना विकसित करने का आह्वान किया ताकि सामाजिक चुनौतियों का उद्देश्यपूर्ण और समर्पण के साथ समाधान किया जा सके। भारत के सभ्यतागत मूल्यों का हवाला देते हुए, उन्होंने प्रशिक्षुओं को अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में संतुलन बनाए रखने और एक समावेशी एवं न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रशिक्षु इस अवसर का सर्वोत्तम उपयोग अपने जीवन को एक बेहतर उद्देश्य के लिए आकार देने में करेंगे।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत
National Human Rights Commission, India
Summer Internship Programme (SIP) – 2025
(16th June - 11th July, 2025)
INAUGURAL FUNCTION
16th June, 2025
BHARAT LAL

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए

इससे पहले, इंटर्नशिप कार्यक्रम का अवलोकन प्रस्तुत करते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार ने ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में आयोग के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के संवादात्मक सत्र, समूह अनुसंधान परियोजनाएँ, पुस्तक समीक्षाएँ, भाषण प्रतियोगिताएँ और गैर-सरकारी संगठनों, पुलिस थानों, कारागारों, आश्रय गृहों, अन्य राष्ट्रीय आयोगों आदि के क्षेत्रीय दौरे, मानव अधिकार मुद्दों के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षुओं की समझ को गहरा करने और नवीन समाधानों के लिए प्रेरित करने तथा इस उद्देश्य के प्रति उनके समर्पण को मज़बूत करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रत्येक छात्र को 12,000/- रुपये का वजीफा दिया जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निदेशक, लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत
National Human Rights Commission, India
Summer Internship Programme (SIP) - 2025

▶ आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एसआईपी-2025 के प्रशिक्षु

मानव अधिकारों पर चरण II आईपीएस परिवीक्षार्थियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए), हैदराबाद के संयुक्त तत्वाधान में 76आरआर (2023 बैच) के चरण II आईपीएस परिवीक्षार्थियों के लिए मानव अधिकारों पर अपने क्षमता निर्माण कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। यह कार्यक्रम 16 से 17 जून, 2025 तक एसवीपीएनपीए, हैदराबाद में आयोजित किया गया।

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, श्री आर.प्रसाद मीणा, महानिदेशक (अन्वेषण), एनएचआरसी, भारत ने नैतिक पुलिसिंग और कानून प्रवर्तन प्रक्रियाओं के अंतर्गत मानव अधिकारों की सुरक्षा के महत्व पर बल दिया।

इसके बाद लॉयड लॉ कॉलेज में प्रोफेसर, श्री पुपुल दुआ प्रसाद, आईपीएस द्वारा 'पीड़ित क्षतिपूर्ति मामलों' पर एक सत्र आयोजित किया गया। 'सर्वोच्च न्यायालय के न्यायशास्त्र द्वारा विकसित मानव अधिकार और कमजोर वर्गों के अधिकार' विषय पर एक अन्य सत्र का संचालन सीडब्ल्यूसी, दिल्ली के अध्यक्ष श्री ओ.पी. व्यास ने किया। 'एनएचआरसी के दिशानिर्देश और परामर्शी' विषय पर एक सत्र एनएचआरसी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुश्री इलक्किया करुणागरन, आईपीएस द्वारा प्रस्तुत किया गया।

कार्यक्रम का समापन मुख्य अतिथि, न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन, अध्यक्ष, एनएचआरसी, भारत द्वारा 'मानव अधिकार - एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य' विषय पर दिए गए समापन सत्र के साथ हुआ। उन्होंने इतिहास के माध्यम से मानव अधिकारों के विकास पर प्रकाश डाला और उनकी स्थायी प्रासंगिकता पर बल दिया।

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन आईपीएस परिवीक्षार्थियों को संबोधित करते हुए

कार्यशालाएँ

- 23 जून, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने केरल के पलक्कड़ स्थित श्री नारायण कॉलेज, अलाथुर के सहयोग से 'छात्रों में मानव अधिकार जागरूकता' पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। लगभग 110 छात्रों ने इसमें भाग लिया।

SREE NARAYANA COLLEGE
ALATHUR, PALAKKAD

- 24 जून, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने ओडिशा के बलांगीर स्थित सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर एक्शन के सहयोग से 'छात्रों में मानव अधिकार जागरूकता' पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्घाटन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह ने वर्चुअल माध्यम से किया। लगभग 110 छात्रों ने इसमें भाग लिया।

Virender Singh

- 25 जून, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने न्यू आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, अहमदनगर, महाराष्ट्र के सहयोग से 'ग्रामीण क्षेत्रों में मानव अधिकार ' विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। समापन सत्र को संबोधित करते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री युवराज ने ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने में मानव अधिकार जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया।

Dr. A P J Abdul Kalam Seminar Hall

- 28-29 जून, 2025 तक, भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई) ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए 'मानव अधिकार: मुद्दे और चुनौतियाँ' विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार ने एक सत्र को संबोधित किया।

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेता रहता है। कई विदेशी संस्थागत प्रतिनिधि आयोग का दौरा करते हैं और मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण हेतु आयोग की कार्यप्रणाली को समझने के लिए अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलते हैं। आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी आयोग की उपलब्धियों पर अपने विचार साझा करने, अन्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगों के साथ बातचीत करने और तेज़ी से विकसित हो रही दुनिया में मानव अधिकारों के समक्ष चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जाते हैं।

'समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन के लिए बहु-क्षेत्रीय भागीदारी' पर उच्च-स्तरीय नीति संवाद

11 जून, 2025 को, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव, श्री भरत लाल ने 'समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन के लिए बहु-क्षेत्रीय भागीदारी' पर उच्च-स्तरीय नीति संवाद में अध्यक्षीय भाषण दिया। यह इंडिया वाटर फाउंडेशन द्वारा फ्रांस के नीस में आयोजित एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का एक अतिरिक्त कार्यक्रम था। अपने संबोधन में, श्री लाल ने कहा कि यह संवाद 2025 के संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की गति को आगे बढ़ाता है और सतत विकास लक्ष्य-14: जल के नीचे जीवन को लागू करने की तात्कालिकता पर बल देता है। उन्होंने कहा कि महासागर जलवायु को नियंत्रित करते हैं, जैव विविधता को बनाए रखते हैं और वैश्विक स्तर पर 3 अरब से ज़्यादा लोगों का भरण-पोषण करते हैं।

उन्होंने उल्लेख किया कि यदि महासागर को एक अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाए, तो यह वार्षिक 2.6 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होती। फिर भी इसकी स्थिति लगातार बिगड़ रही है — यह अतिरिक्त ऊष्मा का 90% अवशोषित कर रहा है, प्राक-औद्योगिक काल की तुलना में अम्लता में 26% की वृद्धि हुई है, और 35% से अधिक मछली भंडारों का दोहन अस्थायी रूप से किया जा रहा है।

श्री लाल ने क्षेत्रीय से स्थानीय स्तर तक अनुकूलन की आवश्यकता पर बल देते हुए बिम्सटेक, आईओआरए और आसियान जैसे संगठनों से समुद्री योजना और ब्लू कार्बन पुनर्स्थापन को विस्तार देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 7,517 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा और 2.8 करोड़ समुद्री आजीविका से जुड़े लोगों के साथ भारत एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन को सशक्त बना रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि मैंग्रोव और टिब्बा पुनर्स्थापन जैसे प्रकृति-आधारित समाधान आपदा से संबंधित नुकसानों में प्रतिवर्ष लगभग 100 अरब डॉलर तक की बचत कर सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित शासन की महत्ता को भी रेखांकित किया गया। श्री लाल ने कहा कि तमिलनाडु में मैंग्रोव पुनर्स्थापन और

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल, 'समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन के लिए बहु-क्षेत्रीय साझेदारी' पर उच्च-स्तरीय नीति संवाद में अध्यक्षीय भाषण देते हुए।

गुजरात में महिलाओं के नेतृत्व में समुद्री शैवाल की खेती जैसे केस स्टडी यह दर्शाते हैं कि महासागर की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में स्थानीय नेतृत्व और पारंपरिक ज्ञान का कितना महत्व है।

उन्होंने कहा कि अधिक धनराशि की आवश्यकता है क्योंकि वैश्विक जलवायु वित्त का केवल 1.6% ही महासागर समाधानों पर खर्च होता है। राष्ट्रीय ब्लू रेजिलिएंस फंड - कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर), सार्वजनिक और अंतर्राष्ट्रीय निधियों को मिलाकर - इस अंतर को पाट सकता है। उन्होंने महासागर अवलोकन और नागरिक विज्ञान सहित मजबूत डेटा और ज्ञान प्रणालियों की भूमिका पर भी ज़ोर दिया। ब्लू कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र, जो वनों की तुलना में 3 से 5 गुना अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं, अपनी क्षमता के बावजूद कम वित्तपोषित हैं।

श्री लाल ने कहा कि मछुआरों और प्रवासियों सहित तटीय समुदाय तेजी से असुरक्षित होते जा रहे हैं। जलवायु प्रतिक्रियाओं में न्याय, सामाजिक सुरक्षा और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को शामिल किया जाना चाहिए - जिसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग मानता है। उन्होंने कहा कि महासागर संरक्षण जलवायु लचीलापन, आर्थिक स्थिरता, खाद्य सुरक्षा और मानव गरिमा की कुंजी है। अब समय आ गया है कि मान्यता से हटकर विज्ञान-आधारित, अधिकार-संरेखित और न्यायसंगत कार्रवाई की जाए। जी-20 और ग्लोबल साउथ के एक अग्रणी देश के रूप में भारत इस परिवर्तन को गति दे रहा है।

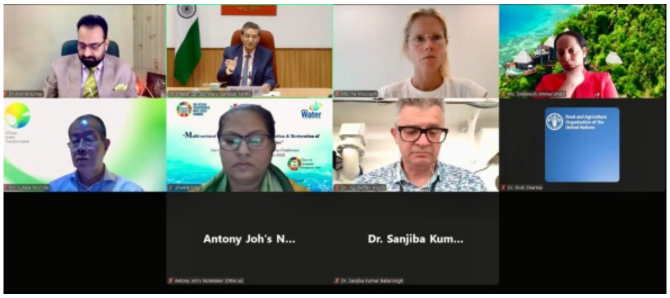

'समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन के लिए बहु-क्षेत्रीय साझेदारी' पर उच्च-स्तरीय नीति संवाद में ऑनलाइन प्रतिभागियों का एक वर्ग

प्रवासन पर संयुक्त राष्ट्र नेटवर्क की छठी वार्षिक बैठक

23 जून, 2025 को, श्री समीर कुमार, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने 2025-2026 के लिए नेटवर्क कार्य योजना का शुभारंभ करने और प्रवासन एमपीटीएफ (मल्टी-पार्टनर ट्रस्ट फंड) परामर्श मंच को शामिल करने हेतु प्रवासन पर संयुक्त राष्ट्र नेटवर्क की छठी वार्षिक बैठक का समापन किया। इस ऑनलाइन बैठक में दुनिया भर के 131 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

अन्य अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

- 4 जून, 2025 को लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह, निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी), भारत ने मानवाधिकार परिषद के सत्रों में एनएचआरआई की भागीदारी पर आधारित एक वेबिनार में भाग लिया।

- 10-11 जून, 2025 को, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सलाहकार (अनुसंधान) डॉ. राजुल रायकवार ने एनएचआरआई की मानव अधिकार निगरानी और रिपोर्टिंग में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों को एकीकृत करने पर एनएचआरआई के ऑनलाइन एशिया-प्रशांत प्रशिक्षण का समापन किया।

- 18 जून, 2025 को, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार ने फिलीपींस के मानव अधिकार आयोग द्वारा व्यापार एवं मानव अधिकार पर मासिक गनहरी कार्य समूह की बैठक में भाग लिया।

- 19 से 20 जून, 2025 तक, श्री समीर कुमार, संयुक्त सचिव, एनएचआरसी, भारत ने उलानबटार, मंगोलिया में वृद्धावस्था और वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों पर एशिया प्रशांत क्षेत्रीय फोरम में भाग लिया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार, वृद्धावस्था और वृद्धजनों के अधिकारों पर एशिया प्रशांत क्षेत्रीय मंच के प्रतिभागियों के साथ

- 30 जून, 2025 को, श्री समीर कुमार, संयुक्त सचिव, एनएचआरसी, भारत ने मानव अधिकार परिषद के प्रस्ताव 51/33 के कार्यान्वयन, रिपोर्टिंग और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय तंत्र पर आयोजित ऑनलाइन सेमिनार में भाग लिया।

अनुसंधान अध्ययन

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान परियोजनाओं को प्रायोजित करता है ताकि ज़मीनी स्थिति और संबंधित नीतिगत एवं कानूनी प्रावधानों का आकलन किया जा सके। हाल ही में संपन्न हुए ऐसे ही एक अनुसंधान अध्ययन का संक्षिप्त परिणाम नीचे दिया गया है:

भारत में श्रम बल में महिलाओं की घटती भागीदारी: एक ज़मीनी स्तर का अध्ययन

द्वारा सौंपा गया:
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत

प्रमुख अन्वेषक:
प्रो. ऋषि कुमार, बिट्स पिलानी, हैदराबाद परिसर

पूरी रिपोर्ट www.nhrc.nic.in पर उपलब्ध है

भारत, एक विकासशील राष्ट्र जो महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन से गुज़र रहा है, समावेशी आर्थिक विकास की अपार संभावनाएँ रखता है। इस संभावना के केंद्र में एक कम उपयोग किया जाने वाला संसाधन निहित है: महिला श्रम। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और विस्तारित विकास के बावजूद, देश की महिला श्रम बल भागीदारी (एफएलएफपी) कम बनी हुई है और कई राज्यों में यह घट रही है।

इस चिंताजनक प्रवृत्ति को समझने के लिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 'भारत में श्रम बल में महिलाओं की घटती भागीदारी: कारकों और बाधाओं की जमीनी स्तर पर जाँच' शीर्षक से एक विस्तृत अनुसंधान परियोजना प्रायोजित की। प्रो. ऋषि कुमार के नेतृत्व में किए गए इस अध्ययन में बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों से प्राथमिक आँकड़े एकत्र करके श्रम बल में महिलाओं की घटती भागीदारी के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों का पता लगाया गया, जहाँ श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

अनुसंधान का दायरा और कार्यप्रणाली

इस अध्ययन में एक सहभागी, सूक्ष्म-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें महिलाओं की तीन श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित किया गया:

i.) वे जिन्होंने कभी काम नहीं किया,

ii.) वे जो कार्यबल से बाहर हो गई हैं, और

iii.) वे जो वर्तमान में कार्यरत हैं।

तीनों राज्यों में कुल 1,510 महिलाओं का सर्वेक्षण किया गया, जिनमें से प्रत्येक राज्य से लगभग 500 महिलाएँ थीं। प्रत्येक रोजगार श्रेणी नमूना जनसंख्या का लगभग एक-तिहाई थी, जो रुझानों और धारणाओं का विश्लेषण करने के लिए एक संतुलित डेटासेट प्रदान करती है।

प्रमुख निष्कर्ष और क्षेत्रीय अंतर

ग्रामीण-शहरी असमानताएँ

- **बचत व्यवहार:** शहरी कामकाजी महिलाओं ने ग्रामीण समकक्षों (6.22%) की तुलना में अधिक (7.8%) बचत की। इसके विपरीत, पढ़ाई छोड़ चुकी ग्रामीण महिलाओं ने शहरी पढ़ाई छोड़ चुकी महिलाओं (4.75%) की तुलना में अधिक (6.47%) बचत की।
- **डिजिटल भुगतान:** ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान का उपयोग लगातार बढ़ता पाया गया, जो नकदी रहित लेनदेन की ओर व्यापक रुझान को दर्शाता है।
- **रोज़गार का प्रकार:** 50% से अधिक ग्रामीण महिलाएँ, नौकरी की स्थिति की परवाह किए बिना, अस्थायी, गैर-अनुबंधित कार्यों में लगी हुई थीं। इसके विपरीत, केवल 9.24% शहरी कामकाजी महिलाएँ ही ऐसे रोज़गार में थीं।
- **मातृत्व लाभ:** पहुँच चिंताजनक रूप से कम बनी हुई है। केवल 4.37% ग्रामीण और 6.02% शहरी कामकाजी महिलाओं को ही सवेतन मातृत्व अवकाश प्राप्त था। पढ़ाई छोड़ चुकी किसी भी महिला को यह लाभ नहीं मिला।
- **पदोन्नति और गतिशीलता:** पदोन्नति की दरें कम थीं—ग्रामीण क्षेत्रों में 27% और शहरी क्षेत्रों में 14% कामकाजी महिलाओं के लिए। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ आमतौर पर काम पर जाने के लिए 5 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा करती थीं, अक्सर ऑटो-रिक्शा या बसों पर निर्भर रहती थीं, जबकि शहरी क्षेत्र की महिलाएँ आमतौर पर पैदल जाती थीं।

ये अंतर मजबूती से जड़ें जमाए हुए संरचनात्मक असमानताओं को दर्शाती हैं जो महिलाओं की रोज़गार संभावनाओं और निरंतरता को प्रभावित करती हैं।

महिला श्रम भागीदारी के निर्धारक

वित्तीय आवश्यकता और पारिवारिक गतिशीलता

महिलाएँ अक्सर वित्तीय संकट या अपर्याप्त घरेलू आय के कारण कार्यबल में प्रवेश करती हैं। जिन महिलाओं की घरेलू ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा थीं, खासकर संयुक्त परिवारों में जहाँ ज़िम्मेदारियाँ साझा की जाती थीं, उनके निरंतर रोज़गार में बने रहने की संभावना ज़्यादा थी।

25-34 वर्ष की आयु की महिलाओं में मातृत्व के कारण कार्यबल छोड़ने की संभावना सबसे अधिक थी, जो मातृत्व अवकाश, बच्चों की देखभाल और घरेलू सहायता के अभाव के कारण और भी बढ़ गई। उल्लेखनीय रूप से, जिन

परिवारों में माताएँ कार्यरत थीं, वहाँ की महिलाओं के स्वयं कार्यबल में शामिल होने की संभावना अधिक थी, जिससे एक महत्वपूर्ण अंतर-पीढ़ीगत प्रभाव का पता चलता है।

शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण

शिक्षा और रोज़गार के बीच संबंध J-आकार के वक्र का अनुसरण करता है:

- निरक्षर महिलाएँ अक्सर अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करती हैं।
- माध्यमिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं की भागीदारी कम रही।
- उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि देखी गई।
- व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण ने रोज़गार की संभावनाओं में उल्लेखनीय सुधार किया, जिससे औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ कौशल-आधारित, रोज़गार-उन्मुख शिक्षा के महत्व पर बल मिला।

सामाजिक मानदंड, स्वायत्तता और धारणाएँ

अध्ययन में पाया गया कि पारिवारिक समर्थन, स्वायत्तता और लैंगिक भूमिका संबंधी धारणाओं ने महिलाओं की रोज़गार स्थिति को अत्यधिक प्रभावित किया। सहायक पारिवारिक वातावरण में, जहाँ माता-पिता और ससुराल वाले दोनों प्रोत्साहित करते थे, महिलाओं के काम करने की संभावना अधिक थी। कई सूचकांक विकसित किए गए:

1. **पारिवारिक समानता सूचकांक** - कामकाजी महिलाओं में उच्च, जो ज़िम्मेदारियों के समान बंटवारे को दर्शाता है।
2. **वित्तीय समावेशन सूचकांक** - कामकाजी महिलाएँ वित्तीय सेवाओं में अधिक सक्रिय थीं।
3. **स्वायत्तता सूचकांक** - निर्णय लेने, खर्च करने के अधिकार और संपत्ति के स्वामित्व पर आधारित; फिर से, कामकाजी महिलाओं के लिए उच्चतर।
4. **जागरूकता सूचकांक** - इंटरनेट उपयोग, कानूनी ज्ञान (जैसे, POSH अधिनियम) और सामान्य जागरूकता को मापा गया, ये सभी कामकाजी महिलाओं के लिए उच्च स्कोर दर्शाते हैं।

गतिशीलता भी एक महत्वपूर्ण कारक थी। कामकाजी महिलाएँ अक्सर वाहन चलाती थीं और अकेले यात्रा करने में अधिक आत्मविश्वास रखती थीं। इसके विपरीत, जिन महिलाओं ने कभी काम नहीं किया था, उन्हें आमतौर पर यात्रा करने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती थी और वे यात्रा करने में अनिच्छुक होती थीं, जिससे उनके रोजगार के अवसर सीमित हो जाते थे।

रोजगार श्रेणी के अनुसार महिलाओं की धारणाएँ

कभी नौकरी न करने वाली महिलाएँ

इन महिलाओं का अक्सर मानना था कि कामकाजी महिलाओं को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है:

- घर और काम के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई,
- वैवाहिक चुनौतियाँ, और
- पारिवारिक सहयोग का अभाव।

ऐसी धारणाएँ अक्सर उन्हें आर्थिक रूप से आवश्यक होने पर भी रोजगार की तलाश करने से रोकती थीं।

ड्रॉपआउट

कामकाज छोड़ने वाली महिलाओं ने निम्नलिखित कारण बताए:

- कम वेतन (विशेषकर पुरुषों की तुलना में),
- बच्चों की देखभाल की चुनौतियाँ, और
- अमित्र या असुरक्षित कार्य वातावरण।

आश्चर्यजनक रूप से, 40% ने महसूस किया कि नौकरी छोड़ने के बाद उनका घरेलू जीवन बेहतर हुआ, जो प्रतिकूल कार्यस्थलों की तुलना में घर को प्राथमिकता देने को दर्शाता है।

बाधाएँ और संभावित समाधान

अध्ययन में कई बार-बार आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डाला गया:

- महिलाओं के कौशल के अनुरूप अपर्याप्त नौकरियाँ।
- घरेलू सहायता का अभाव, विशेष रूप से परिवार के पुरुष सदस्यों से।
- कार्यस्थल की प्रतिकूल परिस्थितियाँ: बच्चों की देखभाल, मातृत्व अवकाश या सुरक्षा का अभाव।
- सामाजिक मानदंड जो महिलाओं की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं।

कामकाजी महिलाएँ अक्सर मजबूत पारिवारिक समर्थन और सशक्तिकरण में विश्वास के कारण काम करती रहती हैं। इस बीच, जिन महिलाओं ने पढ़ाई छोड़ दी थी या कभी काम नहीं किया था, उन्होंने संकेत दिया कि वे कार्यबल में शामिल होने पर विचार करेंगी यदि:

- उनके परिवार अधिक सहयोगी हों,
- कार्यस्थल अधिक सुरक्षित और लचीले हों, और
- उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और नौकरी के अवसर उपलब्ध हों।

सरकारी कार्यक्रम: जागरूकता और कमियाँ

मनरेगा और महिला-ए-हाट जैसी सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता और उनका उपयोग कम था, खासकर गैर-कामकाजी महिलाओं में। यहाँ तक कि जो जागरूक थीं, उनमें भी लाभ की धारणा न्यूनतम थी।

यह एक प्रमुख मुद्दे नीति का अस्तित्व प्रभाव की गारंटी नहीं देता को रेखांकित करता है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए घरेलू परिस्थितियों को बदलने और महिला रोजगार को सामान्य बनाने के लिए जागरूकता बढ़ाने, लक्षित पहुँच और सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता होती है।

अंतर-पीढ़ीगत प्रभाव और दीर्घकालिक लाभ

अध्ययन से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियों में से एक महिला रोज़गार का अंतर-पीढ़ीगत लाभ है। कार्यरत माताओं के बच्चे—विशेषकर बेटियाँ—स्वयं शिक्षा और करियर बनाने की अधिक संभावना रखते हैं। यह गुणक प्रभाव बताता है कि महिलाओं की एक पीढ़ी को सशक्त बनाने से स्थायी सामाजिक परिवर्तन उत्प्रेरित होता है।

इसलिए, नीतियों को अल्पकालिक समाधानों से आगे बढ़कर व्यवस्थित, दीर्घकालिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिनमें शामिल हैं:

- जेंडर-तटस्थ वेतन,
- स्थानीय रोज़गार आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण,
- रोज़गार योग्यता के लिए महिला शिक्षा को बढ़ावा, और
- लैंगिक मानदंडों को चुनौती देने के लिए सांस्कृतिक अभियान।

नीतिगत सुझाव

घटती हुई महिला श्रम शक्ति भागीदारी (FLFP) को उलटने के लिए अध्ययन में बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की गई है:

i.) **घरेलू स्तर पर हस्तक्षेप:** जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के रोज़गार का समर्थन करने के लिए पुरुषों और बुजुर्गों को संवेदनशील बनाना।

ii.) **कार्यस्थल सुधार:** सुरक्षित, समावेशी और लचीला कार्य वातावरण बनाएँ।

iii.) **शैक्षिक एकीकरण:** औपचारिक शिक्षा को व्यावसायिक प्रशिक्षण और करियर परामर्श के साथ जोड़ें।

iv.) **बुनियादी ढाँचा समर्थन:** ग्रामीण गतिशीलता और परिवहन पहुँच में सुधार करें।

v.) **नियोक्ता प्रोत्साहन:** महिलाओं, विशेषकर माताओं को नियुक्त करने और बनाए रखने वाले संगठनों को कर राहत और सब्सिडी प्रदान करें।

निष्कर्ष

भारत में महिला श्रम भागीदारी में गिरावट एक जटिल, बहुस्तरीय मुद्दा है जिसकी जड़ें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता में हैं। इसके समाधान के लिए केवल नीतिगत बदलावों से कहीं अधिक की आवश्यकता है—इसके लिए एक सांस्कृतिक परिवर्तन की आवश्यकता है जो घरों से शुरू होकर कार्यस्थलों और शासन प्रणालियों तक विस्तृत हो।

शिक्षा, वित्तीय समावेशन, स्वायत्तता और सम्मान के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना न केवल लैंगिक समानता के लिए, बल्कि भारत की पूर्ण आर्थिक क्षमता को उजागर करने के लिए भी आवश्यक है। इस अध्ययन से प्राप्त ज्ञान, हालाँकि केवल तीन राज्यों के आँकड़ों पर आधारित है, जमीनी स्तर के सुधारों और समावेशी, सतत विकास की दिशा में एक रोडमैप के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है।

पुस्तक समीक्षा

श्री संजय जैन और श्री विप्लव कुमार चौधरी द्वारा लिखित पुस्तक 'पुलिस पॉवर्स'

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के अलावा, अपराध की रोकथाम और उसका पता लगाना भी पुलिस को सौंपा गया एक प्रमुख कार्य है। नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले अनेक संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के बावजूद, पुलिस शक्तियों के दुरुपयोग के उदाहरण, जैसे कि प्राथमिकी दर्ज न करना, अवैध रूप से हिरासत में रखना, हिरासत में संदिग्धों को प्रताड़ित करना और पुलिस हिरासत में मृत्यु, आम बात है। ऐसे में, एजीएमयूटी कैडर के क्रमशः 2002 और 1997 बैच के दो आईपीएस अधिकारियों, श्री संजय जैन और श्री विप्लव कुमार चौधरी द्वारा 'पुलिस पॉवर्स' नामक एक अत्यंत ज्ञानवर्धक पुस्तक लिखी गई है। वर्तमान में, श्री जैन दिल्ली में संयुक्त पुलिस आयुक्त और श्री विप्लव प्रवर्तन निदेशालय में विशेष निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपने व्यावहारिक अनुभवों का उपयोग किया है, जिसमें भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) के अन्वेषण प्रभाग में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) और पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) के रूप में प्रतिनियुक्ति पर तैनाती भी शामिल है। आम पाठकों और सेवारत पुलिसकर्मियों की जानकारी के लिए इसे भारत लॉ हाउस, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया है। श्री विप्लव ने पुस्तक की एक प्रति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव श्री भरत लाल को भेंट की। पेपरबैक प्रारूप में 288 पृष्ठों के 4 अध्यायों के साथ सरल भाषा में लिखी गई यह पुस्तक पुलिस के कार्यों को परिभाषित और विनियमित करने वाले विभिन्न केंद्रीय अधिनियमों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करना, गिरफ्तारी और हिरासत, जाँच और बल प्रयोग के साथ-साथ पुलिस शक्तियों के दायरे और सीमाओं की जानकारी भी शामिल है। यह कानून प्रवर्तन अधिकारियों, कानूनी पेशेवरों और आपराधिक कानून के छात्रों के लिए एक आवश्यक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है, जिसका उद्देश्य पुलिस द्वारा कार्य करने वाली कानूनी सीमाओं के बारे में उनकी समझ को बढ़ाना है।

सर्वे
भवन्तु सुखिन
POLICE
POWERS

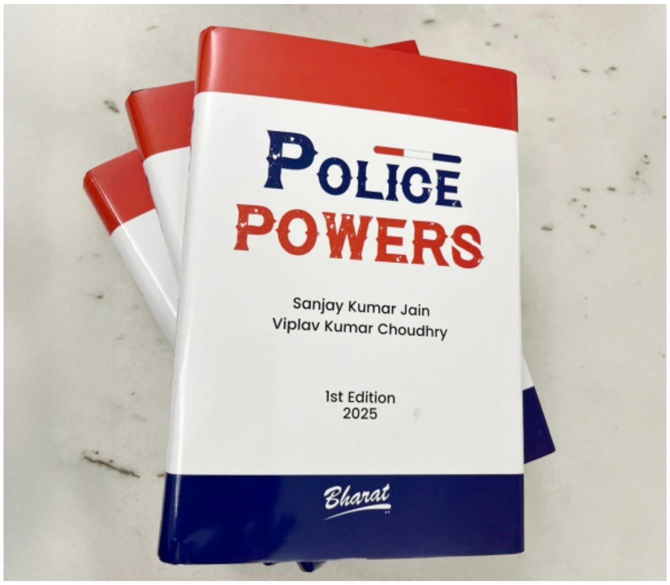

▶ प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक श्री विप्लव कुमार चौधरी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव श्री भरत लाल को अपनी पुस्तक भेंट करते हुए

साथ ही, ऐसी शक्तियों का दुरुपयोग जो गंभीर मानव अधिकार उल्लंघन के बराबर है - जैसा कि न्यायिक घोषणाओं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्णयों और राष्ट्रीय पुलिस आयोग तथा भारतीय विधि आयोग की रिपोर्टों में देखा गया है ,का भी विश्लेषण किया गया है। हिरासत में हिंसा और हिरासत में मृत्यु पर विस्तार से चर्चा की गई है क्योंकि ये मानव अधिकार उल्लंघन के सबसे बुरे रूप हैं। निर्णीत मामलों के माध्यम से महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है। पुलिस कार्यप्रणाली से संबंधित कानूनी प्रावधानों से पाठक को अवगत कराने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, अधिनियमों और कानूनों के प्रावधानों का संक्षिप्त रूप में प्रासंगिक स्थानों पर उल्लेख किया गया है।

इसके अलावा, आम जनता, पुलिस थानों में अग्रिम स्तर पर कार्यरत पुलिसकर्मी और उनके पर्यवेक्षी अधिकारी इस पुस्तक को विशेष रूप से उपयोगी पा सकते हैं। अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सशस्त्र बलों में समान स्तर के अधिकारी, जिनके पास गिरफ्तारी और बल प्रयोग की पुलिस शक्तियाँ भी हैं, उनके लिए भी यह पुस्तक उपयोगी मार्गदर्शिका साबित हो सकती है।

राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार

मानव जीवन के निरंतर विस्तृत होते आयामों और उससे जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए, मानव अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण हमेशा एक सतत प्रक्रिया है। भारत में, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों के अलावा, जो संवैधानिक रूप से लोगों के बुनियादी मानव अधिकारों की रक्षा करके उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, विधायिका, न्यायपालिका, एक जीवंत मीडिया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) जैसी संस्थाएँ मौजूद हैं, साथ ही अन्य राष्ट्रीय आयोग और उनके राज्य समकक्ष भी हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और मुद्दों के प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं। इस कॉलम का उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए एसएचआरसी द्वारा की गई असाधारण गतिविधियों पर प्रकाश डालना है।

हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग

हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग ने जून, 2025 के दौरान, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के अधिकारों की रक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में तत्काल संरचनात्मक सुधारों का आह्वान किया। अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा और सदस्यों, श्री कुलदीप जैन और श्री दीप भाटिया वाले पूर्ण आयोग ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट की सराहना की, जिसमें ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, विस्तारित नैदानिक सेवाओं और 777 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती जैसे प्रमुख विकासों का विवरण दिया गया था, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों पर बढ़ते प्रशासनिक बोझ पर गंभीर चिंता व्यक्त की, इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। एचएसएचआरसी ने स्वास्थ्य अधिकारियों को नैदानिक और प्रशासनिक भूमिकाओं का स्पष्ट पृथक्करण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि डॉक्टरों को सेवा अधिकारों और स्वास्थ्य सेवा मानकों, दोनों को

बनाए रखने के लिए केवल रोगी देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

एचएसएचआरसी ने रेवाड़ी के झज्जर रोड स्थित एक रिहायशी इलाके में पाइप उद्योग के अवैध संचालन को भी गंभीरता से लिया है, जिससे कथित तौर पर गंभीर वायु और ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और एक हृदय रोगी सहित जन स्वास्थ्य को खतरा है। आयोग ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उपायुक्त और नगर निगम अधिकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

▶ एचएसएचआरसी की टीम फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड स्थित एसओएस चिल्ड्रन विलेज का दौरा करती हुई

एक अन्य प्रमुख हस्तक्षेप में, राज्य आयोग ने हरियाणा सरकार को शिक्षण संस्थानों के ऊपर से गुजरने वाली उच्च-तनाव वाली बिजली की लाइनों को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है, और उनकी उपस्थिति को बच्चों की सुरक्षा और मौलिक अधिकारों के लिए एक गंभीर खतरा बताया है। इसने गुरुग्राम में एक 96 वर्षीय व्यक्ति और उसकी 86 वर्षीय पत्नी से जुड़े एक मामले का भी स्वतः संज्ञान लिया है, जिन्हें कथित तौर पर उनके बेटे ने छोड़ दिया था।

हरियाणा में मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों से निपटने के अलावा, एचएसएचआरसी के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति ललित बत्रा और सदस्य, श्री दीप भाटिया ने बच्चों को प्रदान की जाने वाली रहने की स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड में एसओएस चिल्ड्रन विलेज का दौरा किया और उन्हें उनके संवैधानिक और मानव अधिकारों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने समाज और औद्योगिक निकायों से वंचित बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाले ऐसे संस्थानों का समर्थन करने का भी आग्रह किया।

संक्षिप्त समाचार

- 4 जून, 2025 को, श्री भरत लाल, महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने 2024 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान, पुराने जेएनयू परिसर, दिल्ली में "मानव अधिकार : केवल कानूनी ढाँचा ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के मूल मूल्यों का प्रतिबिंब" विषय पर एक व्याख्यान दिया।

OFFICERS FROM THE L&T CADRE OF MEA
Shri Bharat Lal

- 5 जून, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन सारंगी ने एवर ग्रीन फोरम, ओडिशा जैव विविधता बोर्ड और ओडिशा सरकार द्वारा आयोजित "पर्यावरण संरक्षण और मानव अधिकार " विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि आत्मकेंद्रित और स्वार्थी प्रवृत्तियाँ पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचा रही हैं। उन्होंने एक स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए संतुलित जीवनशैली अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

WO
ENVIRONMENT DAY 2025
ENVIRONMENT PROTECTION
HUMAN RIGHTS
HRF
HUMAN RIGHTS FRONT INDIA

- 6 जून, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने भुवनेश्वर स्थित शिक्षा 'ओ' अनुसंधान विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और "पर्यावरण एवं मानवता" विषय पर मुख्य भाषण दिया। उन्होंने पारिस्थितिक स्थिरता और मानव विकास के बीच महत्वपूर्ण परस्पर निर्भरता पर प्रकाश डाला।

- 6 जून, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भारत सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु आयोग के कार्यों और गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा की।

- 7 से 9 जून, 2025 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के उप रजिस्ट्रार (विधि) श्री इंद्रजीत कुमार ने झारखंड के रांची का दौरा किया और एक बुजुर्ग नागरिक के मामले में, जिसकी अस्पताल में चार दिनों तक रहने के बाद मृत्यु हो गई थी, उपायुक्त, रांची से बातचीत की। उन्होंने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए विभिन्न नीतियों, योजनाओं और कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति का पता लगाने के लिए महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव से भी मुलाकात की।

- 9 जून, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने पर्यावरण कानून पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'भारत में पर्यावरण कानून और नीति: चुनौतियाँ, नवाचार और भविष्य की राह” विषय पर मुख्य भाषण दिया।

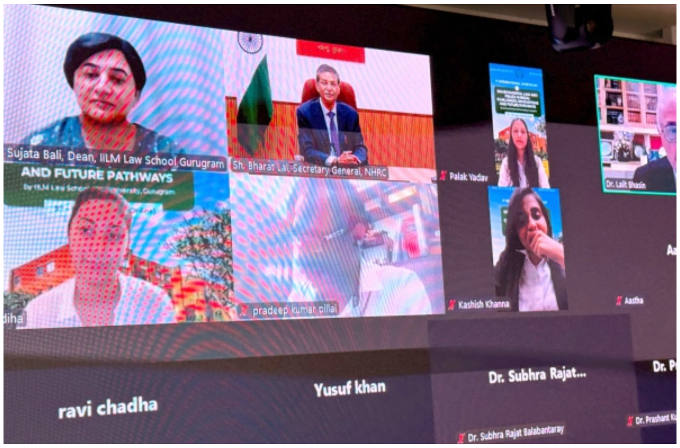
Sujata Bali, Dean, IILM Law School Gurugram
AND FUTURE PATHWAYS
Sh. Bharat Lal, Secretary General, NHRC
Palak Yadav
Dr. Lalit Bhasin
pradeep kumar pillai
Kashish Khanna
Aastha
ravi chadha
Yusuf khan
Dr. Subhra Rajat...
Dr. Subhra Rajat Balabantaray

- 12 जून, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपनी वार्षिक हिंदी पत्रिका 'मानव अधिकार: नई दिशाएँ' के 22वें अंक की विषय-वस्तु पर चर्चा हेतु सलाहकार मंडल की एक बैठक आयोजित की। आयोग की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने महासचिव श्री भरत लाल, संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार, वरिष्ठ अधिकारियों और छह बाहरी विशेषज्ञों की उपस्थिति में इसकी अध्यक्षता की।

- 14 जून, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन सारंगी ने 'वाई' मेन इंटरनेशनल, पूर्वोत्तर भारत द्वारा कुआक, ओडिशा में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन-2025 को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने मानव अधिकारों और न्यायिक नैतिकता के बारे में बात की।

Y'S MEN INTERNATIONAL
NORTH, EAST & NORTHEAST INDIA REGION, (INDIA AREA)
REGIONAL CONVENTION - 2025 & INSTALLATION OF REGIONAL DIRECTOR
On: 14th June 2025 Venue: Conference Hall, YMCA, Buxibazar, Cuttack
REGIONAL CONVENTION 2025
KALINGA

- 21 जून, 2025 को एनएचआरसी, भारत ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वैश्विक बिरादरी को "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग" थीम के साथ बधाई दी, जो व्यक्तिगत और ग्रहीय स्वास्थ्य के बीच अविभाज्य संबंध को दर्शाता है, तथा वसुधैव कुटुम्बकम - विश्व एक परिवार है - के भारतीय लोकाचार को दर्शाता है।

- 25 जून, 2025 को, प्रोफ़ेसर (डॉ.) लीना जी. गहाणे, एसीईटी, नागपुर ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में 'महिला सशक्तिकरण: रानी अहिल्याबाई होल्कर' विषय पर एक व्याख्यान दिया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति (डॉ.) बी.आर. सारंगी और श्रीमती विजया भारती सयानी तथा पूर्व सदस्य डॉ. डी.एम. मुले भी उपस्थित थे। उन्होंने रानी अहिल्याबाई होल्कर के प्रशासनिक कौशल के माध्यम से जन कल्याण और महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनके अग्रणी कार्यों के बारे में जानकारी साझा की, जो आज भी समाज के समग्र विकास के लिए प्रासंगिक हैं।

- 26 जून, 2025 को, श्री भरत लाल, महासचिव, एनएचआरसी, भारत ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 'क्षमता विकास मंच - एक सतत भविष्य के लिए संस्थागत क्षमता विकास की पुनर्कल्पना' में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य भाषण दिया।

INDIA INTERNATIONAL CENTRE

आगामी कार्यक्रम

21 से 22 जुलाई, 2025	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भुवनेश्वर में ओडिशा राज्य से संबंधित मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों की सुनवाई के लिए जन सुनवाई और शिविर आयोजित करेगा।
28 से 29 जुलाई, 2025	एनएचआरसी हैदराबाद में तेलंगाना राज्य से संबंधित मानव अधिकार उल्लंघनों की शिकायतों की सुनवाई के लिए जन सुनवाई और शिविर का आयोजन करेगा।

जून 2025 में शिकायतें

प्राप्त नई शिकायतों की संख्या	17,514
पुराने मामलों सहित निपटाए गए मामलों की संख्या	2,769
आयोग के विचाराधीन मामलों की संख्या	30,753

ख़बरों में मानव अधिकार एवं एनएचआरसी

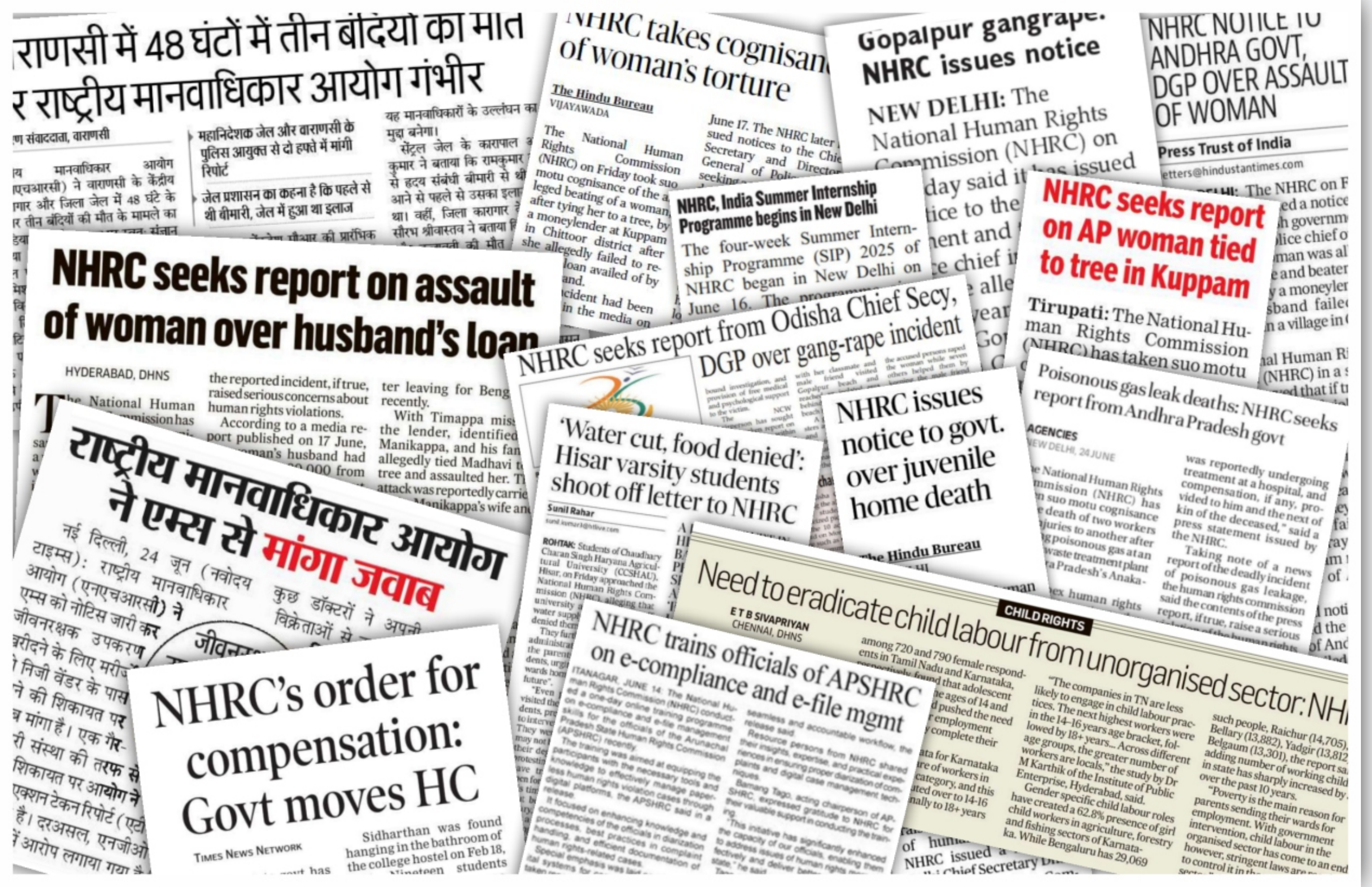

राणसी में 48 घंटों में तीन बंदियों की मौत र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गंभीर

NHRC takes cognisance of woman's torture

Gopalpur gangrape: NHRC issues notice

NHRC NOTICE TO ANDHRA GOVT, DGP OVER ASSAULT OF WOMAN

NHRC, India Summer Internship Programme begins in New Delhi

NHRC seeks report on AP woman tied to tree in Kuppam

NHRC seeks report on assault of woman over husband's loan

NHRC seeks report from Odisha Chief Secy, DGP over gang-rape incident

Poisonous gas leak deaths: NHRC seeks report from Andhra Pradesh govt

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एम्स से मांगा जवाब

'Water cut, food denied': Hisar varsity students shoot off letter to NHRC

NHRC issues notice to govt. over juvenile home death

Need to eradicate child labour from unorganised sector: NHRC

NHRC trains officials of APSHRC on e-compliance and e-file mgmt

NHRC's order for compensation: Govt moves HC

सर्वे
भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

शिकायत दर्ज करने के लिए एनएचआरसी के महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर
टोल फ्री नंबर: 14433 (सुविधा केंद्र) फैक्स नंबर: 011-2465 1332
ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए: www.nhrc.nic.in, hrcnet.nic.in,
सामान्य सेवा केंद्र ईमेल: complaint.nhrc@nic.in (शिकायतों के लिए), cr.nhrc@nic.in (सामान्य प्रश्नों/पत्राचार के लिए)

मानव अधिकार संरक्षकों के लिए फोकल पॉइंट:
इंद्रजीत कुमार, उप रजिस्ट्रार (विधि)
मोबाइल नंबर +91 99993 93570 • फैक्स नंबर 011-2465 1334 • ई-मेल: hrd-nhrc@nic.in

प्रकाशक एवं मुद्रक: महासचिव, एनएचआरसी
विबा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड में मुद्रित। सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रीयल। क्षेत्र, चरण- II, नई दिल्ली-110020 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से प्रकाशित
मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023
हिंदी संस्करण : अनूदित : हिंदी अनुभाग : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

✉ covdnhrc@nic.in   www.nhrc.nic.in   @India_NHRC

RNI No. 61957/95